(ग) **प्रबोध**

वैयक्तिक वेतन केवल उन्हीं अराजपत्रित कर्मचारियों को दिया जाता है जिनके लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित है और जो 55% या अधिक अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। (राजपत्रित अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन देय नहीं है) प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन उन्हीं कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होंगे जिनके लिए इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

(घ) **हिंदी टंकण**

हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले केंद्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने की अवधि के लिए वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहायक, अनुवादक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा चयन ग्रेड लेखा परीक्षक जैसे पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी, जिनके लिए हिंदी-टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है किन्तु उपयोगी है, को अवर श्रेणी लिपिकों की भांति ही उक्त वित्तीय प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएं इस संबंध में जारी की गई विभिन्न शर्तों के अधीन दी जाती हैं।

(ङ) **हिंदी आशुलिपि**

अराजपत्रित हिंदी भाषी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर 12 महीने के लिए एक वेतन वृद्धि जो आगामी वेतन वृद्धि में मिला दी जाती है, के बराबर वैयक्तिक वेतन मंजूर किया जाता है। जिन आशुलिपिकों (राजपत्रित व अराजपत्रित दोनों) की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। ये वेतन-वृद्धियां भावी वेतन–वृद्धियों में मिला दी जाती हैं। ऐसे कर्मचारी को पहले वर्ष में दो वेतन वृद्धियों के बराबर तथा दूसरे वर्ष में पहली वेतन-वृद्धि को मिला दिए जाने पर केवल एक वेतन वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है। राजपत्रित आशुलिपिकों के लिए 90% अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन देय होता है।

(का.ज्ञा.सं.-12016/2/78-रा.भा. (घ) दिनांक 10-1-79)

(का.ज्ञा.सं.-12014/2/76-रा.भा. (घ) दिनांक 2-9-76)